न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकरी चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण आर.एएस
प्रकरण संख्या आदेश 18सन 2013
पंजीयन दिनांक 9.4.2013
रामनिवास पिता भोलीराम जाट निवासी–अचलपुरा तहसील बडीसादडी ।
–अपीलांट

बनाम

1.गोविन्दराम पिता रायचंद जाट ।
2.पृथ्वीराज पिता दोला मृतक के बजाय–
2/1 पप्पु पिता शंकर जाट ।
2/2 रमेश पिता शंकर जाट ।
2/3पारसमल पिता बाबूलाल जाट ।
2/4 कैलाशमीबाई पत्नी बाबूलाल जाट ।
3.मांगीलाल पिता रायचंद जाट ।
4.मु0नानी बेवा रायचंद जाट सभी नि.अचलपुरा तह.बडीसादडी ।
5.राज्य जरिये तहसीलदार बडीसादडी ।
–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी
प्रकरण संख्या 14/2007 निर्णय दिनांक 28.2.2013
उपस्थित–श्री छोगालाल जाट–वकील अपीलांट

–0–

निर्णय दिनांक 21.1.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षैप में इस प्रकार हैकि वादी ने एक प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 जा. दि का प्रस्तुत किया जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 28.2.2013 को सारहीन होने से खारिज किया गया जिसके विरूद्व वादी/अपीलांट ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट का कथन हैकि मौजा दलपुरा की खतौनी संख्या 18 में दर्ज आराजी नम्बर 1/2क 4,5 6,7,9/2 कुल किता–8 रकबा 18 बीघा 1 विस्वा भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पुश्तैनी होकर रायचन्द का 1/2 व प्रतिवादी पृथ्वीराज का 1/2 हक व हिस्सा होकर बाहमी बंटवाडे से करीब 30 वर्षो से काबिज है रायचन्द की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट मांगीलाल व उसके पुत्र व बेवा है जो उसके हिस्से पर काबिज है बंटवाडे में 12 बीघा आराजी रेस्पोडेन्ट पृथ्वीराज के कब्जे में है व बकाया आराजियात बंटवाडे में रायचंद के हिस्से में रहीहै उसके बाद रेस्पोडेन्ट मांगीलाल के हिस्से में आयी खाता संख्या 42 मोजा अचलपुरा की आराजी नम्बर 56 रकबा 13 बीघा 10 विस्वा इसी प्रकारआराजी नम्बर 105 मौजा राणावतो का खेडा में व आराजी नम्बर 131/1 मी मौजा राणावतो क खेडा में स्थित है यह सभी आराजियात पैतृक सम्पत्ति है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के आपसी बंटवाडा कर

रखा है व बराबर हिस्सा है ।रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का 1/3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 प्रत्येक का 1/3 1/3 हिस्सा है । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने मोजा राणावतो का खेडा मे स्थित आराजी नम्बर 106 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा का भी वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अंकित किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का शामलाती 1/2 हिस्सा है व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 अपीलांट का है यह स्वीकृत तथ्य तथा फिर भी अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 की बिना प्रोपर तामील करवाये ही विवादित आराजियात के सबंध में एक पक्षीय प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की गयी है जिसमें आराजी नम्बर 106 का बंटवाडा किया गया जिसमे आराजी नम्बर 106/1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट मांगीलाल के बंटवाडे मे कर दी गयी व आराजी नम्बर 106/2 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि अपीलांट के साथ ही पृथ्वीराज रेस्पोडेन्ट मागीलाल के बंटवाडे मे कर दी गयी व आराजी नम्बर 106/2 रकबा 4बीघा 4 बिस्वा भूमि अपीलांट के साथ ही पृथ्वीराज रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम भी दर्ज कर दिया है ।जब कि वाद पत्र में अंकित तथ्यो अनुसार मौजा राणावतो काखेडा तहसील बडीसादडी की आराजी नम्बर 106 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पृथ्वीराज का किसी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं है अपीलांट का 1/2 व रेस्पोडेन्ट संख्या संख्या 1 का 1/2 हक व हिस्सा निहित है फिर भी अपीलाट के साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का भी प्राथमिक निर्णय एवं डिकी व अन्तिम निर्णय एवं डिकी में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का एक तरफा में नाम अंकित कर दिया गया जिससे अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण संख्या 156/92 प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 25.5.2007 एवं अन्तिम निर्णय एवं डिकी दिनांक 16.9. 1998 में पारित निर्णय एवं डिकी को निरस्त कर दो तरफा में निर्णय एवं डिकी पारित करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने सारहीन होना मानते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य हे ।

रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुस्थित । अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गयी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट वादी ने बंटवाडा वघोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया था व उक्त पत्रावली में बंटवाडे हेतु राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया था ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को राजीनामे का मध्यनजर रखते हुये ही वाद पत्र का निस्तारण किया जानाथा फिर भी विचारण न्यायालय ने राजीनामें से विपरित जाकर अपीलांट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करते हुऐ प्रकरण का निस्तारण कर दिया था ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीरामा के विपरित निर्णय दिया गया जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलांट ने विचारण न्यायालय में दो तरफा कार्यवाही किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया ऐसी स्थिति मे विचारण न्याायालय के प्रकरण संख्या 156/92 प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 16.9.98 व अन्तिम निर्णय व डिकी दिनांक 25.5.2007 को दोतरफा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है फिर भी विचारण न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को अपने निर्णय दिनांक 28.2.2013 से निरस्त कर दिया जो न्यायोचित नहीं है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकारकी जाकर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16.9.1998 व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.5.2007 निरस्त की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को गुणावगुण व पत्रावली में प्रस्तुत राजीरामे अनुसार निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 21.1.2021 को खूले न्यायालय में सुनागया गया।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ